



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2014, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1935
No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2014, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय (वर्ग 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1974 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (अभिलेखपाल, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, लशकर और सफाईवाला) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 में -
- (क) अनुसूची-1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची I”

[नियम 3 के उपनियम (1) और (4) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर

प्रवर्ग, ग्रेड, वेतनमान और समूह वर्गीकरण

ग्रेड	पदनाम	पदों की संख्या*	वेतनमान (रु.)	वर्गीकरण : रक्षा सेवा में सिविलियन
प्रवर्ग-‘क’				
1.	तकनीशियन ‘क’		वेतन बैंड-1/1900	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीशियन ‘ख’		वेतन बैंड-1/2400	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
3.	तकनीशियन ‘ग’		वेतन बैंड-1/2800	समूह ‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी सहायक ‘ख’		वेतन बैंड-2/4200	समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
5.	तकनीकी अधिकारी		वेतन बैंड-2/4600	समूह ‘ख’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग ‘क’	5541		
प्रवर्ग-‘ख’				
1.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक ‘ख’		वेतन बैंड-2/4200	समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय
2.	तकनीकी अधिकारी ‘क’		वेतन बैंड-2/4600	समूह ‘ख’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
3.	तकनीकी अधिकारी ‘ख’		वेतन बैंड-3/5400	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	तकनीकी अधिकारी ‘ग’		वेतन बैंड-3/6600	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
5.	तकनीकी अधिकारी ‘घ’		वेतन बैंड-3/7600	समूह ‘क’ राजपत्रित, अननुसचिवीय
6.	उप कुल प्रवर्ग ‘ख’	8303		

* परिवर्तन हो सकता

(ख) अनुसूची 3, के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची 3”

[नियम 6 का उप-नियम (3) देखें]

क्र. सं.	वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति हुई है	वह ग्रेड जिसमें प्रोन्नति हुई है	ऐसे पात्र कर्मचारियों की प्रतिशतता जिनको वार्षिक मूल्यांकन में अगले ग्रेड में प्रोन्नत किया जा सकता है	रेजिडेंसी अवधि
1.	तकनीशियन 'क'	तकनीशियन 'ख'	70%	5 वर्ष
2.	तकनीशियन 'ख'	तकनीशियन 'ग'	60%	5 वर्ष
3.	तकनीशियन 'ग'	तकनीशियन सहायक 'ख'	50%	5 वर्ष
4.	तकनीकी सहायक 'ख'	तकनीकी अधिकारी	45%	5 वर्ष *
5.	तकनीकी सहायक	तकनीकी अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष #
6.	ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'क'	60%	5 वर्ष \$
7.	तकनीकी अधिकारी 'क'	तकनीकी अधिकारी 'ख'	35%	5 वर्ष !!
8.	तकनीकी अधिकारी 'ख'	तकनीकी अधिकारी 'ग'	30%	5 वर्ष
9.	तकनीकी अधिकारी 'ग'	तकनीकी अधिकारी 'घ'	20% @	6 वर्ष
10.	तकनीकी अधिकारी 'घ'			

पाद टिप्पण :-

* टिप्पण 1 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

टिप्पण 2 : ऐसे तत्कालीन तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

\$ टिप्पण 3 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क', जिनका उन्नयन हुआ है और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से अथवा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क' के रूप में नियुक्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

!! टिप्पण 4 : ऐसे तत्कालीन ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ग', जिनका उन्नयन हुआ है और तकनीकी अधिकारी 'क' के साथ विलयन हुआ है, के संबंध में रेजिडेंसी अवधि की गणना 1-1-2006 से की जाएगी।

@ ऐसे तकनीकी अधिकारी 'घ' की काडर संख्या किसी भी समय बिन्दु पर तकनीकी अधिकारी 'ग' की काडर संख्या के बीस प्रतिशत तक सीमित होगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76237/डीआरटीसी/आरआर/पी/एम/03]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 296, तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित और प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था -

1. का.नि.आ. 50, तारीख 12-2-2002
2. का.नि.आ. 147, तारीख 28-6-2002
3. का.नि.आ. 33, तारीख 29-2-2008

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 20th January, 2014

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000—

(a) For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

[See sub-rules (1) and (4) of rule 3]

Defence Research and Development Organisation Technical Cadre
Categories, Grades, Pay Scales and Group Classification

Grade	Designation	Number of post*	Pay Scale (Rs.)	Classification : Civilian in Defence Service
CATEGORY – 'A'				
1.	Technician 'A'		PB-1/1900	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
2.	Technician 'B'		PB-1/2400	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
3.	Technician 'C'		PB-1/2800	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Technical Assistant 'B'		PB-2/14200	Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial
5.	Technical Officer		PB-2/4600	Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
6.	SUB TOTAL CATEGORY 'A' 5541			
CATEGORY – 'B'				
1.	Sr. Technical Assistant 'B'		PB-2/4200	Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial
2.	Technical Officer 'A'		PB-2/4600	Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
3.	Technical Officer 'B'		PB-3/5400	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
4.	Technical Officer 'C'		PB-3/6600	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5.	Technical Officer 'D'		PB-3/7600	Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
6.	SUB TOTAL CATEGORY 'B' 8303			

*Subject to variation.

(b) For Schedule III, the following schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE III

[See Sub-rule (3) of rule 6]

Sl. No.	Promotion from grade	Promotion to grade	Percentage of eligible employees who could be promoted to the next grade in annual assessment	Residency period
1.	Technician 'A'	Technician 'B'	70%	5 years
2.	Technician 'B'	Technician 'C'	60%	5 years
3.	Technician 'C'	Technical Assistant 'B'	50%	5 years
4.	Technical Assistant 'B'	Technical Officer	45%	5 years *
5.	Technical Officer	Technical Officer 'B'	35%	5 years #
6.	Sr. Technical Assistant 'B'	Technical Officer 'A'	60%	5 years \$
7.	Technical Officer 'A'	Technical Officer 'B'	35%	5 years !!
8.	Technical Officer 'B'	Technical Officer 'C'	30%	5 years
9.	Technical Officer 'C'	Technical Officer 'D'	20% @	6 years
10.	Technical Officer 'D'			

Foot Note :—

* **Note 1** : In respect of erstwhile Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006.

Note 2 : In respect of erstwhile Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Officer, the residency period will count from 1-1-2006.

\$ **Note 3** : In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'A' who have been upgraded and merged with Sr. Technical Assistant 'B', the residency period will count from 1-1-2006 or date of appointment as Sr. Technical Assistant 'A' whichever is later.

!! **Note 4** : In respect of erstwhile Sr. Technical Assistants 'C' who have been upgraded and merged with Technical Assistant 'A', the residency period will count from 1-1-2006.

@ The Cadre strength of Technical Officer 'D' at any point of time be limited to twenty per cent of the cadre strength of "Technical Officer 'C'."

[F. No. DHRD/76237/DRTC/RR/P/M/03]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note : The Principal rules were notified published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. 296, dated 5th December, 2000 and amended vide notification numbers —

1. S.R.O. 50, dated 12-2-2002

2. S.R.O. 147, dated 28-6-2002

3. S.R.O. 33, dated 29-2-2008